

**THE RAJASTHAN AGRICULTURAL PRODUCE
MARKETS (AMENDMENT) BILL, 2020**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Agricultural Produce Markets (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 16th December, 2019.

2. Amendment in section 19-A, Rajasthan Act No. 38 of 1961.- In section 19-A of the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Act No. 38 of 1961),-

- (i) for the existing heading "Kisan Kalyan Kosh", the heading "Krishak Kalyan Kosh" shall be substituted;
- (ii) in sub-sections (1) and (2), for the existing expression "Kisan Kalyan Kosh" wherever occurring, the expression "Krishak Kalyan Kosh" shall be substituted;
- (iii) in sub-section (2) for the existing punctuation mark "." occurring at the end of clause (j), the punctuation mark ";" shall be substituted and after the clause (j) so amended, the following new clause shall be added, namely:-

" (k) to promote any other activities connected with the farmers' welfare with the prior approval of the Government." ;
and

(iv) after the existing sub-section (3), the following new sub-section shall be added, namely:-

" (4) The Board may raise fund from any other sources with the prior approval of the Government.".

3. Repeal and Savings.- (1) The Rajasthan Agricultural Produce Markets (Amendment) Ordinance, 2019 (Ordinance No. 3 of 2019) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government in its budget (2019-20) took a major initiative of constituting Krishak Kalyan Kosh (K3) of Rupees One Thousand Crore to facilitate Ease of Doing Farming on the line of Ease of Doing Business.

The previous Kisan Kalyan Kosh covered mainly post-harvest management activities from production to marketing stage, while the newly constituted Krishak Kalyan Kosh (K3) will provide funds for activities under Rajasthan Agro-processing, Agri-business and Agri-export Promotion Policy 2019, arrangements for prompt payment under minimum support price purchase, implementation of Market Intervention Scheme in case of market prices fall and Pledge Financing etc. The fund will also be utilized for other various farmers' welfare measures and schemes and will create synergy between agriculture and industry sectors in the state.

In order to undertake various activities and schemes for farmers' welfare through constitution of Krishak Kalyan Kosh (K3) suitable amendments are proposed to be made in the existing section 19-A of the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961.

Since, the Rajasthan State Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Rajasthan Agricultural Produce Markets (Amendment) Ordinance, 2019 (Ordinance No. 3 of 2019) on 16th December, 2019, which was published in Rajasthan Gazette, Part IV(B), Extraordinary, dated 16th December, 2019.

The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत
Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय
की सिफारिश।

(प्रितलिपि: संख्या प. 2(6) विधि/2/2020 जयपुर, दिनांक 7 फरवरी, 2020

प्रेषक: अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री, प्रेषित: सचिव, राजस्थान
विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में, मैं,
राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 को राजस्थान विधान
सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूँ।

FINANCIAL MEMORANDUM

In the modified Budget for the year 2019-20, the Hon'ble Chief Minister has made an announcement to constitute a Kosh of Rs. 1000.00 crore namely Krishak Kalyan Kosh to facilitate Ease of Doing Farming on the line of Ease of Doing Business.

This Kosh will be utilized by the State Government for the purposes mentioned in section 19-A of the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961 and for implementation of Rajasthan Agro-processing, Agri-Business and Agricultural Export Policy, 2019 and, for other welfare measures for farmers.

In compliance of Budget Announcement, newly created Krishak Kalyan Kosh (K3) has been funded with Rs. 1000.00 crore loan from Oriental Bank of Commerce, on the basis of Government Guarantee after approval given by the Government through Cabinet Memorandum No. 125/2019. The Loan amount is to be repaid in ten years including two years' moratorium period.

The repayment of loan and interest thereon payable to the Bank shall be paid by the Government through the Rajasthan State Agricultural Marketing Board by making necessary provision in the respective budget heads as per repayment/interest schedule of the Bank under recurring expenses. The recurring expenses to be borne by the Government for constituting Krishak Kalyan Kosh will be as under:-

(Amount in Lakh)

Sr.No	Financial Year	Interest and Principal Amount to be repaid	Commission for Government Guarantee	Total
1	2019-20	2025.00	-	2025.00
2	2020-21	8100.00	100.00	8200.00
3	2021-22	11225.00	100.00	11325.00
4	2022-23	19967.19	100.00	20067.19

5	2023-24	18954.69	100.00	19054.69
6	2024-25	17942.19	100.00	18042.19
7	2025-26	16929.69	100.00	17029.69
8	2026-27	15917.19	100.00	16017.19
9	2027-28	14904.69	100.00	15004.69
10	2028-29	13892.19	100.00	13992.19
11	2029-30	9754.69	100.00	9854.69
Total		149612.50	1000.00	150612.50

Apart from above, one percent commission payable to the Government in lieu of Government Guarantee shall be exempted/reimbursed by Government.

अशोक गहलोट
Minister Incharge.

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN
AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS ACT, 1961**

(ACT No. 38 of 1961)

XX XX XX XX XX XX

19A. Kisan Kalyan Kosh.- (1) There shall be a fund called the "Kisan Kalyan Kosh" which shall be administered by the Board.

(2) Kisan Kalyan Kosh shall be utilised for the following purposes, namely:-

- (a) to organize studies, seminars, workshops, exhibitions and training regarding activities from production to marketing like post harvest management, storage, transportation, grading, waxing, packaging, processing, sale and export of the agricultural produce;
- (b) to provide financial and technical assistance to organizer the aforementioned activities jointly with the private agencies, autonomous bodies and co-operative societies;
- (c) to promote marketing of organically produced agricultural commodities, including fruits, vegetables and of medicinal plants;
- (d) to develop infrastructure in the mandi yard and outside with a view to promote marketing activities;
- (e) to promote use of latest scientific and technical equipments for the promotion of aforesaid activities;
- (f) to promote new marketing strategies like future markets, e-commerce etc.;
- (g) to promote direct marketing of agricultural produces;

- (h) to provide assistance for the development of packing, certification, labeling and marketing of organic produces;
- (i) to promote development of food parks; agro clinics and agro business centers with a view to promoting marketing of agricultural produce; and
- (j) to develop commodity specific markets.

(3) Every Market Committee shall pay to the fund such amount as may be specified by the State Government. But not exceeding 5 per cent of the income derived by it from licence fees, market fees and fines imposed by the Courts.

XX XX XX XX XX XX

2020 का विधेयक सं.2

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहतरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह 16 दिसम्बर, 2019 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1961 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 की धारा 19क का संशोधन.- राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 38) की धारा 19क में,-

- (i) विद्यमान शीर्षक "किसान कल्याण कोष" के स्थान पर शीर्षक "कृषक कल्याण कोष" प्रतिस्थापित किया जायेगा;
- (ii) उप-धारा (1) और (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "किसान कल्याण कोष", जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "कृषक कल्याण कोष" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (iii) उप-धारा (2) में खण्ड (अ) के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न "।;" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित खण्ड

(ज) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(ट) सरकार के पूर्व अनुमोदन से कृषक कल्याण से संबंधित किन्हीं अन्य क्रियाकलापों को बढ़ावा देना।"; और

(iv) विद्यमान उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"(4) बोर्ड, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, किन्हीं अन्य स्रोतों से निधि जुटा सकेगा।"

3. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश सं. 3) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार ने अपने बजट (2019-20) में व्यापार करने में आसानी की तर्ज पर खेती करने में आसानी को सुकर बनाने के लिए एक हजार करोड़ रुपये के कृषक कल्याण कोष (के3) का गठन करने के लिए एक बड़ी पहल की है।

पूर्ववर्ती किसान कल्याण कोष में मुख्यतः उत्पादन से विपणन की अवस्था तक फसलोत्तर प्रबंध के क्रियाकलापों का समावेश था, जबकि नवगठित कृषक कल्याण कोष (के3) राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के अधीन क्रियाकलापों के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद के अधीन त्वरित संदाय हेतु व्यवस्थाओं के लिए, बाजार मूल्यों में गिरावट की दशा में बाजार हस्तक्षेप स्कीम के क्रियान्वयन के लिए और गिरवी वित्तपोषण इत्यादि के लिए निधियां उपलब्ध करायेगा। यह निधि कृषकों के कल्याण के अन्य विभिन्न अध्युपायों और स्कीमों के लिए भी उपयोग में ली जायेगी तथा राज्य में कृषि और उद्योग सेक्टरों के बीच सहचर्य सृजित करेगी।

कृषक कल्याण कोष (के3) के गठन के माध्यम से कृषकों के कल्याण के लिए विभिन्न क्रियाकलापों और स्कीमों का जिम्मा लेने के लिए राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की विद्यमान धारा 19-क में यथोचित संशोधन किये जाने प्रस्तावित हैं।

चूंकि राजस्थान राज्य विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 16 दिसम्बर, 2019 को राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन)

अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश सं. 3) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4(ख) में दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत
प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रितलिपि: संख्या प. 2(6) विधि/2/2020 जयपुर, दिनांक 7 फरवरी, 2020

प्रेषक: अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री, प्रषिति: सचिव, राजस्थान
विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में, मैं, राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूं।

वित्तीय जापन

माननीय मुख्यमंत्री ने वर्ष 2019-20 के लिए उपांतरित बजट में व्यापार करने में आसानी की तर्ज पर खेती करने में आसानी को सुकर बनाने के लिए 1000.00 करोड़ रुपये का एक कोष अर्थात् कृषक कल्याण कोष गठित करने की घोषणा की है।

यह कोष राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 19क में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए और राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के क्रियान्वयन और कृषकों के कल्याण के अन्य अध्यापार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा उपयोग में लिया जायेगा।

बजट घोषणा के अनुपालन में, मंत्रिमण्डल जापन सं. 125/2019 के माध्यम से सरकार के अनुमोदन के पश्चात् सरकारी प्रत्याभूति के आधार पर ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स से 1000.00 करोड़ रुपये के उधार से नवगठित कृषक कल्याण कोष (के3) निधि उपलब्ध करायी गयी है। उधार की इस रकम का प्रतिसंदाय दस वर्ष में किया जाना है जिसमें दो वर्ष की अधिस्थगन कालावधि सम्मिलित है।

बैंक को संदेय उधार और उस पर ब्याज का प्रतिसंदाय, आवर्ती व्ययों के अधीन बैंक के प्रतिसंदाय/ब्याज की अनुसूची के अनुसार संबंधित बजट शीर्षों में आवश्यक उपबंध करके, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से सरकार द्वारा संदत्त किया जायेगा। कृषक कल्याण कोष के गठन के लिए सरकार द्वारा वहन किये जाने वाले आवर्ती व्यय निम्नानुसार होंगे:-

(रकम लाखों में)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	प्रतिसंदत्त किये जाने वाले ब्याज और मूल की रकम	सरकारी प्रत्याभूति के लिए कमीशन	योग
1	2019-20	2025.00	-	2025.00
2	2020-21	8100.00	100.00	8200.00
3	2021-22	11225.00	100.00	11325.00
4	2022-23	19967.19	100.00	20067.19
5	2023-24	18954.69	100.00	19054.69

6	2024-25	17942.19	100.00	18042.19
7	2025-26	16929.69	100.00	17029.69
8	2026-27	15917.19	100.00	16017.19
9	2027-28	14904.69	100.00	15004.69
10	2028-29	13892.19	100.00	13992.19
11	2029-30	9754.69	100.00	9854.69
योग		149612.50	1000.00	150612.50

उपरोक्त के अलावा, सरकारी प्रत्याभूति के बदले में सरकार को संदेय एक प्रतिशत कमीशन की सरकार द्वारा छूट दी जायेगी/प्रतिपूर्ति की जायेगी।

अशोक गहलोट
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 38) से लिये गये उद्धरण

XX

XX

XX

XX

XX

19क. किसान कल्याण कोष.- (1) "किसान कल्याण कोष" नाम से एक निधि होगी जिसका प्रबन्ध बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

(2) किसान कल्याण कोष का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जायेगा, अर्थात्:-

- (क) उत्पादन से विपणन तक के क्रियाकलापों जैसे कृषि उपज के फसलोत्तर प्रबन्ध, भण्डारण, परिवहन, श्रेणीकरण, वेक्सिंग, पैक करने, प्रसंस्करण, विक्रय और निर्यात के संबंध में अध्ययन, सेमिनारें, कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां और प्रशिक्षण आयोजित करना;
- (ख) ऊपर उल्लिखित क्रियाकलापों के आयोजकों को प्राइवेट एजेन्सियों, स्वशासी निकायों और सहकारी सोसाइटियों के साथ संयुक्त रूप से वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना;
- (ग) फलों, सब्जियों को सम्मिलित करते हुए कार्बनिक रूप से उत्पादित कृषि वस्तुओं के और औषधीय वनस्पतियों के विपणन को बढ़ावा देना;
- (घ) विपणन क्रियाकलापों को बढ़ावा देने की दृष्टि से मण्डी यार्ड के भीतर और बाहर अवसंरचना का विकास करना;
- (ङ) उपर्युक्त क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए नवीनतम वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देना;

- (च) नयी विपणन युक्तियों जैसे भावी मण्डियों, ई-कॉमर्स इत्यादि को बढ़ावा देना;
- (छ) कृषि उपजों के सीधे विपणन को बढ़ावा देना;
- (ज) कार्बनिक उपजों को पैक करने, प्रमाणन, लेबल लगाने और विपणन के विकास के लिए सहायता प्रदान करना;
- (झ) कृषि उपजों के विपणन को बढ़ावा देने की दृष्टि से फूड पार्क, कृषि क्लिनिक और कृषि कारबार केन्द्रों के विकास को बढ़ावा देना; और
- (ञ) वस्तु विनिर्दिष्ट मण्डियों का विकास करना।

(3) प्रत्येक मण्डी समिति निधि में इतनी रकम का संदाय करेगी जितनी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, किन्तु जो अनुज्ञप्ति फीस, मण्डी फीस और न्यायालयों द्वारा अधिरोपित जुर्मानों से उसके द्वारा प्राप्त आय के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

XX

XX

XX

XX

XX

**THE RAJASTHAN AGRICULTURAL PRODUCE
MARKETS (AMENDMENT) BILL, 2020**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

**Pramil kumar Mathur,
Secretary.**

(Ashok Gehlot, Minister-Incharge)

2020 का विधेयक सं. 2

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

(अशोक गहलोट, प्रभारी मंत्री)